[श्री भानुप्रताप सिंह]

टन गेहूं खरीदना पड़ेगा अगर वे प्रतिष्ठा पर न अड़े रहें तो भारत ऐसी स्थिति में है कि उनको दो मिलियन टन गेहूं दे सकता है। क्या आपको यह अन्तर नहीं दिखाई देता है? दोनों बिलकुल नज़दीक के हैं और जलवायु एक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक कार्यों का मूल्यांकन राजनीतिक या व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मैंने एक बयान दिया था जिस पर आपत्ति की गई, कहा गया कि मंत्री जी क्यों इसमें आये। मैं कहना चाहता हूं जहां मंत्रियों का कर्त्तव्य है कि उनके विभाग में जो गलत काम करते हैं उनको सज़ा दें वहां यह भी उनका कर्त्तव्य है कि अगर उन पर अनुचित आक्रमण होता है, उनके नीचे के काम करने वालों पर तो उसकी भी सफाई दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will have to wind up because at 3-30 we have the non-official business. (*Interruptions*). There is no clarification needed. At 3.30, we are starting the non-official business. Either the Minister winds up, or I wind up the debate now, and we carry on with the non-official business.

श्री भानु प्रताप सिंह : हम लोग किसानों का भला करना चाहते हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि इसको दलगत राजनीति या उत्तर तथा दक्षिण के हितों की दृष्टि से न देखा जाये। जैसा मैं पहले कह चुका हूं हर प्रकार के सुझावों का स्वागत होगा। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के किसानों की दशा सुधरे और साथ ही हमारा उत्पादन भी बढ़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी सुझाव किसी भी स्थान से, किसी भी दल के माननीय सदस्य से आयेगा, उसका स्वागत किया जायेगा।

15.33 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SEVENTEENTH REPORT

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now go on to the Private Members' Business. Shri Devendra Satpathy.

SHRI DEVENDRA SATPATHY (Dhenkana): I beg to move:

"That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April 1978."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is.

"That this House do agree with the Seventeenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolution presented to the House on the 18th April, 1978."

The motion was adopted.

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of section* 2)

श्री दयाराम शाक्य (फर्रुखाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973

The motion was adopted.

श्री दयाराम शाक्य : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 20-4-78.